भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2202

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम

2202. श्री रमेश अवस्थीः
श्री बसवराज बोम्मई
श्री नव चरण माझीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा और रोजगार के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विशिष्ट योजनाओं या लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सफलतापूर्वक निगरानी और मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पहल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना तक पहुंच में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में किन्हीं आगामी संशोधन अथवा विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में इसके शुभारंभ के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो सहभागी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को कवर करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।

15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इसके अलावा, अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का 15%, जहाँ तक संभव हो, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षा और रोजगार के लिए योजनाओं सहित कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों की योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं

v. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)

vi. दीन दयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

vii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

viii. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

ix. दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)

x. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग)

xi. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवाएं विभाग)

xii. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

xiii.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xiv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xv. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर सहभागी मंत्रालयों द्वारा की जाती है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में अपनी भूमिका में संतृप्ति स्तरों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों की प्रासंगिक योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत कई घटकों ने मुख्यधारा में शामिल होने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न संबंधित योजनाओं में लाभों को पूरी तरह पहुंचाने में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ): वर्तमान में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

*****